

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-रा0का0II-02/2013

खाद्य, पटना/दिनांक

अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

मोहन प्रसाद,
निदेशक ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पत्र सं0-8136 दिनांक 27.12.2013 द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का उपयोग करते हुए पात्र परिवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ-साथ Integrated Software के आधार पर जिला स्तर पर ही राशन कार्ड तैयार कर वितरण कराने हेतु निदेश दिया गया है । कतिपय जिलों द्वारा राशन कार्ड मुद्रण कराने हेतु निविदा भी आमंत्रित की गई है जिसमें Software भी सम्मिलित है ।

उपर्युक्त के आलोक में लखीसराय द्वारा राशन कार्ड मुद्रण के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना की सूची से पात्र परिवारों की सूची तैयार करने हेतु Software का भी निविदा प्रकाशित की गई थी तथा उनके द्वारा निविदित दर निर्धारित कर दिया गया है जो रू0 98 प्रति E.B है जिसमें Exclusion-Inclusion, report generation and Printing, Image processing एवं राशन कार्ड मुद्रण हेतु PDF Creation का कार्य सम्मिलित है ।

विभाग द्वारा पात्र परिवारों की सूची तैयार करने हेतु आवश्यक Software भी Procure किया गया है । यदि आपके जिले में राशन कार्ड मुद्रण की निविदित दर अबतक निर्धारित नहीं की है तो राशन कार्ड मुद्रण हेतु पारदर्शी ढंग से Cost Discovery के आधार पर लखीसराय या अन्य जिले द्वारा निर्धारित निविदित दर को ग्रहण किया जा सकता है । बशर्त कि आपके जिले द्वारा निविदित दर उक्त निर्धारित दर से न्यून न हो ।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले के किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत कर उक्त Software विभाग से प्राप्त कर राशन कार्ड छपाई का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जाय एवं कार्ड छपाई की प्रगति से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन



निदेशक ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0का0II-02/2013

434

खाद्य, पटना/दिनांक 23/01/2014

प्रतिलिपि - सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



निदेशक ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0का0II-02/2013

434

खाद्य, पटना/दिनांक 23/01/2014

प्रतिलिपि - सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक ।